**रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/ का.व.प्रशा./भर्ती/ अनुबंध/ पोत डिज़ाइन सहायक/2025/4**
**दिनांक 06 मई 2025**

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, **सीएसएल में अनुबंध के आधार पर पोत डिज़ाइन सहायकों** के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है: -

## I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:-

**तालिका 1**

| क्र. सं. | पद का नाम | शैक्षिक योग्यता | अनुभव |
|---|---|---|---|
| 1 | पोत डिज़ाइन सहायक (यांत्रिकी) | राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकानिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा। | • शिपयार्ड या<br>• इंजीनियरिंग कंपनी या<br>• सरकारी/ अर्ध सरकारी कंपनी/ संस्थान या<br>• निजी डिज़ाइन संस्थान या<br>• वाणिज्यिक संस्थान<br>में डिज़ाइन में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।<br>*पोत डिजाइन में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।* |
| 2 | पोत डिज़ाइन सहायक (विद्युत) | राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा। | |

**जिन उम्मीदवारों को डिजाइन में अनुभव नहीं है, वे आवेदन नहीं करेंगे।**

## II. महत्वपूर्ण तिथियां:

| | | |
|---|---|---|
| **ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत** | : | **06 मई 2025** |
| **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि** | : | **16 मई 2025** |

## III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

**तालिका 2**

| क्र.सं. | पदों का नाम | अना. | अपिव | अ.जा | ईडब्ल्यूएस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोत डिज़ाइन सहायक (यांत्रिकी) | 13 | - | 5 | 2 | **20** |
| 2 | पोत डिज़ाइन सहायक (विद्युत) | 7 | 3 | - | 1 | **11** |

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) रोज़गार की प्रकृति में निहित यार्डों और पोतों के लगातार दौरे के कारण, इस पद को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए नहीं पहचाना गया है।

## IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

क) उपरोक्त पद के अनुबंध की अवधि **तीन वर्ष** है, जिसे संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ख) सीएसएल द्वारा वांछितानुसार सीएसएल/परियोजना स्थलों पर तैनाती की जाएगी। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या पोत पर या सीएसएल द्वारा किए गए किसी भी कार्य स्थल/परियोजना में सेवा करने की बाध्यता भी जुड़ी हुई है।

## V. पारिश्रमिक:

**तालिका 3**

| अनुबंध अवधि | समेकित वेतन (प्रति महीने) | काम के अतिरिक्त घंटों केलिए क्षतिपूर्ति (प्रति महीने) |
|---|---|---|
| प्रथम वर्ष | ₹ 24400/- | ₹ 6100/- |
| द्वितीय वर्ष | ₹ 25100/- | ₹ 6280/- |
| तृतीय वर्ष | ₹ 25900/- | ₹ 6480/- |

## VI. आयु:

**क) पदों केलिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 16 मई 2025 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 17 मई 1995 को या उसके बाद होना चाहिए।**

ख) अपिव (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है तथा उनके लिए आरक्षित पदों पर अ.जा. उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट है।

ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। हालाँकि, किसी भी स्थिति में, सभी आयु छूट लागू करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## VII. चयन की रीति:

क) कार्य से संबंधित डिजाइन में दक्षता का मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि सीएसएल द्वारा तय किया जाएगा।

ख) **प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की होगी और सीएसएल, कोच्ची में आयोजित की जाएगी।**

ग) प्रायोगिक परीक्षा कैड सॉफ्टवेयर में आयोजित किया जाएगा।

घ) प्रायोगिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार होंगे :
अनारक्षित पदों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %
अ.पि.व उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 45 % केवल अ.पि.व केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए
अ.जा.उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 % केवल अ.जा. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए

ङ) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त है, तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।

च) चयन पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के मूल प्रमाणपत्र सहित स्वयं सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उन्हे आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

छ) प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही केवल प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो बाद की तिथि में निर्धारित की जाएगी।

ज) प्रत्येक पद केलिए रैंक सूची, अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो संबंधित योग्यता आयु में वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी।

## VIII. शर्तें:

### क) आरक्षण :

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

(ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

(iii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

**ख) <u>योग्यता:</u>**

(i) पदों केलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समतुल्य योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और इस तरह के प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(iii) **सभी पदों के लिए, बिना निर्धारित योग्यता वाले, लेकिन बी.टेक, एम.एससी. आदि उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(iv) किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

**ग) <u>अनुभवः</u>**

(i) **उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता पश्चात् अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 16 मई 2025 से की जाएगी।**

(ii) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संबंधित अनुशासन में पूर्ण किए गए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव माना जाएगा।

(iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, संगठन द्वारा जारी **नियुक्ति आदेश/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति** अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। **पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** <u>प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को प्रमाणित करने के लिए सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</u>

(iv) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से **सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के लिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और उसे प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना है । उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(v) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए ।

(vi) ***<u>जो लोग वर्तमान में सीएसएल में शिप ड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षु या शिप डिजाइन सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।</u>***

**घ) <u>आवेदन शुल्क:</u>**

(i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 06 मई 2025 से 16 मई 2025** तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। <u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>

(ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

**ङ) <u>आवेदन कैसे करें:</u>**

(i) **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन केलिए लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए।** <u>आवेदन दो चरण होते हैं</u> – **एक बार पंजीकरण और पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। दिनांक 06 मई 2025 से 16 मई 2025 तक यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। <u>सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>**

(iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड किया गया है , ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार किया जाएगा।

(iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरा आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में " के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

(vii) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

(viii) वेबसाइट **दिनांक 06 मई 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 16 मई 2025** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

**च) सामान्य**

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

(ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर योद्धा के रूप में किसी भी रैंक पर सेवा की हो, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी कुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे ;

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) पूर्व भर्तियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किया गया तथा चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाएं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है**,** और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा । निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा ।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के

चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

(vii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची)** को बार- बार देखें।

(viii) केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं होगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं बनता है, और सीएसएल में रोज़गार केलिए आवेदक किसी भी दावे का हकदार नहीं है ।

(ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

(x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

(xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी होने तक। यदि रैंक सूची से शामिल होने केलिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक

सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने केलिए भी किया जा सकता है।

(xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

(xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xix) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

**“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”**

**“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।”**

**ह/-**

**महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)**